



वादा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए. बाबत घोषणा
डिक्री

दिनांक :- 27/01/20

वादीगण की ओर से श्री अरविन्द ताखर अधिवक्ता, प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 की ओर से श्री कुलदीप सिंह धालीवाल अधिवक्ता व राजपैरोकार इस वाद मे आज दिनांक को उमा मित्तल आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीवंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है कि, उभय पक्ष के मध्य हुए राजीनामा एवं शपथ पत्र के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत वाद मे वर्णित कृषि भूमि का निम्नानुसार घोषणा की जाती है—

तहसील पीलीवंगा के चक 35 एलएलडब्ल्यू के प.नं. 24/229 में वादी के नाम दर्ज 445/3112 हिस्सा कृषि भूमि का प्रतिवादी संख्या 3 पूर्णराम को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। वादी का नाम खाता से कलमजन किया जाता है।

तहसीलदार राजस्व पीलीवंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि घग्घर, वन विभाग, जोहड पायतन, आराजीराज न होंने तथा अन्य किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदि न होंने, धारा 16 आर.टी.ए. की अवहेलना नहीं होंने की व समस्त प्रकार के भार

3
सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीवंगा



मुक्त हों तथा किसी प्रकार के राजस्व हानि न हों की दशा में स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन/गैर खातेदार पूर्वानुसार ही रहेगी जिमसे किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकेन अपना-अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक 27/01/2026 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।



(उमा मित्तल आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलेक्टर
पिलीबंगा